

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

23 मार्च, 1977

खंड 1, अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 23 मार्च, 1977

पृष्ठ
संख्या

अध्यक्ष द्वारा घोशणाएं	
1. श्रीमति लज्जा रानी का देहान्त	(1)1
2. सभापतियों की तालिका	(1)1
3. याचिका समिति	(1)1
सचिव द्वारा घोशणा	(1)2
राज्यपाल का अभिभाषण	(1)2
कार्यमन्त्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन	(1)14
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(1)17
भाक प्रस्ताव	(1)18

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 23 मार्च, 1977

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़, में 15:10 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

अध्यक्ष द्वारा घोशणाएं

1. श्रीमति लज्जा रानी का देहान्त

Mr. Speaker: I have to inform the house with deep sorrow that Smt. Lajja Rani, a Member of the Haryana Vidhan Sabha representing Bhadra Assembly constituency of Bhiwani district, died on the 1st March, 1977.

2. सभापतियों की तालिका

Mr. Speaker: Under Rule 13(1) of the Rules of Procedure Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the Panel of Chairman:-

1. Rao Nihal Singh

2. Rao Dalip Singh
3. Ch. Ishwar Singh
4. Ch. Manphul Singh

3. याचिका समिति

Mr. Speaker: Under Rule 286(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly I nominate the following Members to serve on the Committee on Petitions:-

1. Smt. Lekhwati Jain (Deputy Speaker) Ex-Officio-Chairman
2. Rao Dalip Singh
3. Sh. Gulab Singh Jain.
4. Ch. Phool Chand (Rohat); and
5. Ch. Phool Chand (Mullana)

सचिव द्वारा घोशणा

Secretary: Sir, I beg to lay on the Table of the House a statement showing the Bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its last session held in November, 1976, and have since been assented to by the Governor/President.

Statement

1. The Punjab Gram Panchayat (Haryana Third Amendment) Bill, 1976.
2. The Punjab Panchayat Samitis (Haryana Second Amendment) Bill, 1976.
3. The Haryana Cattle Fairs (Amendment) Bill, 1976.
4. The Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Bill, 1976.
5. The Punjab Cooperative Societies (Haryana Third Amendment) Bill, 1976.
6. The Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 1976.
7. The Haryana Ceiling on Land Holdings (Third Amendment) Bill, 1976.

Sir, I have to inform the House that the President has withheld his assent from the following two Bills, which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its session held in July, 1975:-

1. The Punjab Security of Land Tenures (Haryana Amendment) Bill, 1975.
2. The Pepsu Tenancy and Agricultural Lands (Haryana Amendment) Bill, 1975.

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

Mr. Speaker: In pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I have to report to the House that the Governor was pleased to address the Haryana Legislative Assembly on the 23rd March, 1977 at 2.00 p.m. under Article 176(1) of the Constitution.

A copy of the Address is laid on the Table of the House.

‘मित्रो’

मुझे विधान सभा के वर्षा के प्रथम सत्र में आप सब लोगों का स्वागत करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस विमर्श में सफल हों। मुझे विश्वास है कि आप लोगों के प्रयास से हरियाणा राज्य उसी गति से विकास पथ पर अग्रसर होता रहेगा जिससे गत कुछ वर्षों में इतनी प्रगति सम्भव हो सकी है। हमारे इस छोटे से राज्य को देशभर में विकास-सोपान पर सर्वप्रथम रहने का गौरव प्राप्त है और मुझे विश्वास है कि हम सभी इस स्थिति को बनाए रखने का सतत प्रयास करेंगे। यद्यपि अनेक चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर लिया गया है तथापि अभी बहुत से कार्य हैं, जो किए जाने भोश हैं। मेरा आप लोगों से और राज्य के अन्य सभी

लोगों से आग्रह हैं कि हम सभी लोग प्रगति के नए पथ पर अग्रसर करने और गरीबी दूर करने के काम में जी-जान से जुट जाएं।

सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों और प्राप्त किए गए लक्ष्यों के विशय में कुछ कहने से पहले मेरा भाोकातुर मन प्रिय राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहम को याद किए बिना नहीं रह सकता। उनके निधन से राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति हुई हैं। वे सरल हृदय और निस्वार्थी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना समस्त जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। वे धर्मनिरपेक्ष आदर्शवाद की प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने अपने देशवासियों के सम्मुख प्रेम और दया का एक देदीप्यमान उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे राष्ट्र की भावनात्मक एकता को बल मिला। मेरे मन में अपने आदर्शभूत पूर्ववर्ती स्वर्गीय श्री बी.एन. चक्रवर्ती की स्मृति भी कौंध जाती है, जिन्हें एक वर्ष पूर्व राज्य ने खो दिया था। नौ वर्ष की लम्बी अवधि में, राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर उनका नाम था और वे राज्य के विकास से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के लिए निरन्तर प्रेरणास्त्रोत बने रहे। उनकी गम्भीर प्रतिभा, दूरदर्शी नीति और कुशल राजनीति से राज्य विकास के पथ पर निरन्तर अग्रसर होता रहा। हरियाणा राज्य उनको कभी नहीं भूल सकता और न ही यह स्वर्गीय श्री चक्रवर्ती जी द्वारा किए गए उपकारों से उन्नत हो सकता है। भाोक की इस घड़ी में हमें इस विचार से सान्त्वना मिलती है कि दोनों दिवंगत आत्माओं से हूँ उनके आदर्शपदचिन्हों पर चलने की प्रेरणा मिलती रहेगी।

सर्वप्रथम मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि वर्ष 1976-77 के दौरान राज्य की प्रगति और सुदृढ़ हुई तथा स्थाई बनाई गई। जीवन के हर क्षेत्र में अनुपासन लगातार देखने में आया है। राज्य में किसी भी प्रकार की हड़ताले और तालाबन्दियां नहीं की गयीं। कृषि और औद्योगिक उत्पादन में निरन्तर सन्तोषजनक वृद्धि हुई। जमाखोरी और समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही जारी रखी गई और कीमते सामान्य तौर पर नियन्त्रण में रही। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के निष्पादन की गति और तेज कर दी गई और समाज के कमजोर वर्गों की दशा सुधारने की परियोजनाएं प्रभावी ढंग से जारी रहीं।

मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार को महत्वपूर्ण 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम तैयार करने और उसके निष्पादन का गौरव प्राप्त हैं गत वर्ष दिसम्बर के अन्त तक अनुसूचित जातियों और अधिसूचित पिछड़े वर्गों के 214753 व्यक्तियों में से, जोकि मकान के लिए जगह प्राप्त करने के पात्र थे, 213377 व्यक्तियों को जगह अलाट कर दी गई। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मकान बनाने के लिए दी जाने वाली जगहों पर मकान बनाने के लिए अपेक्षित अन्य प्रबन्ध किए बगैर जगहों का दिया जाना आर्थिक उपलब्धि होगी, सरकार ने भवन निर्माण के लिए अलाटियों को उपयुक्त ऋण देने की व्यवस्था की है। परिणामस्वरूप राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऐसे निर्माण के लिए धन देना आरम्भ कर दिया है। देहाती कर्जदारी को समाप्त करने के

कार्यक्रम और इसके स्थान पर आवश्यक सांस्थानिक वित्त व्यवस्था करने की और भी उचित ध्यान दिया गया। हरियाणा कृषि कर्जदारी, राहत अधिनियम द्वारा 2400 रूपए वार्षिक पारिवारिक आय वाले कृषि मजदूरों, देहाती कारीगरों और सीमान्त किसानों की ऋण देयता बिल्कुल ही समाप्त हो गई और ऐसे व्यक्तियों की ऋण देयता सीमित हो गई जिनकी वार्षिक आय उक्त आंकड़ों से अधिक है अथवा जो छोटे किसान हैं। दूसरी ओर किसानों, कारीगरों और अन्य व्यक्तियों की उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुनर्गठित सहकारी समितियों, प्रादेशिक देहाती बैंकों और कृषक सेवा समितियों के माध्यम से नई उधार सुविधाएं जुटायी गयीं। वर्ष 1976 के अन्त तक प्रादेशिक देहाती बैंकों और उनकी 33 शाखाओं ने लगभग 69 लाख रूपए के ऋण दिए थे। इसी प्रकार गत वर्ष दिसम्बर, के अन्त तक छः कृषक सेवा समितियों ने, जिनके अन्तर्गत लगभग 98000 जनसंख्या वाले 90 गांव आते हैं, और जिनके 8199 सदस्य हैं, 55.27 लाख रूपए के अल्पावधि और मध्यमावधि ऋण दिए थे। वर्तमान सहकारी समितियों को पुनर्गठित किया गया और जुलाई से दिसम्बर तक के छः महीनों में इन पुनर्गठित सहकारी समितियों ने छोटे और सीमान्त किसानों तथा भूमिहीन कामगारों को 825.55 लाख रूपए के अल्पावधि ऋण प्रदान किए थे। दिसम्बर, 1976 तक देहाती कारीगरों को अलग से 29.62 लाख रूपए दिए जा चुके थे।

आव यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करना 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है और इसीलिये इस पर उचित बल दिया गया है। सौभाग्यवत् राष्ट्रीय स्तर पर किये गये उपायों के परिणामस्वरूप चालू वर्ष के दौरान मूल्य सूचकांक सुनियंत्रित रहा। किन्तु सतत सतर्कता तथा सुगठित विरण प्रणाली द्वारा ही ऐसा करना समीच हो सका है। अब आव यक वस्तुओं के वितरण के लिए राज्य के सभी देहाती और भाहरी क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों का जाल बिछा हुआ है। इस समय परचून की 2538 दुकानें हैं जिन पर उचित मूल्य पर कपड़ा उपलब्ध है जबकि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के आरम्भ में जून 1975 में ऐसी 341 दुकानें थीं। सभी स्कूलों और कालेजों के छात्रावासों को उपभोक्ता सहकारी स्टोरों से समबद्ध कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप छात्र नियंत्रित मूल्यों पर आव यक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं।

भूमि सुधारों के संबंध में राज सरकार ने भूमि की अधिकतम सीमा के कानून में अपेक्षित संशोधन किये और बड़े-बड़े भू-स्वामियों से नए घोशणा पत्र आमंत्रित किये। फालतू क्षेत्र सुनिश्चित करने के विचार से इन घोशणा पत्रों की छानबीन का कार्य चल रहा है। इस दौरान मई 1976 में फालतू भूमि को उपयोग में लाने की स्कीम तैयार की गई और जून से दिसम्बर 1976 की अवधि के दौरान पुराने अधिकतम सीमा कानून के अधीन उपलब्ध 12502 हैक्टेयर फालतू क्षेत्र को 10821 व्यक्तियों में

(जिनमें से 4698 हरिजन हैं बांट दिया गया है। इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा विचाराधीन कुछ प्रदे 1 याचिकाओं पर निर्णय दिए जाने के उपरांत कार्य की गति तेज हो जाने की संभावना है।

हथकरघे के विकास की ओर भी उचित ध्यान दिया जाता रहा है और इस वर्ष जनवरी तक 1838 बुनकरों को 35.71 लाख रूपये की वित्तीय सुविधाएं जुटाई गईं। इस उद्योग के लिये एक हथकरघा निगम स्थापित किया गया है। निगत तथा राज्य सरकार ने भिवानी और पानीपत में बनकर कालोनियां बनाने की महत्वपूर्ण स्कीमें तैयार की हैं। पानीपत परियोजना का पर्याप्त कार्य हो चुका है और भिवानी परियोजना का कार्य भीघ्र ही आरम्भ होने वाला है। पानीपत में निर्यात उत्पादन परियोजना स्थापित करने तथा उचित दरों पर आव यक भौतिक तथा वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की स्कीमें भी उल्लेखनीय हैं।

कृषि और इसके आधारभूत ढांचे के विकास की दि गा में सरकार अधिकाधिक ध्यान देती रही है। 1975-76 के लिए 46.60 लाख टन के मुकाबले में वास्तविक खाद्य उत्पादन 50.38 लाख टन तक पहुंच गया, जिसके परिणामस्वरूप यह उत्पादन पूर्ववर्ती वर्ष से 50 प्रति ात अधिक था। राज्य के गठन के समय से लेकर चावल और गेहूं के उत्पादन ने सभी रिकार्ड मात कर दिये। परिणामस्वरूप केन्द्रीय पूल के लिये 4.54 लाख टन चावल और 9.07 लाख टन गेहूं अधिप्राप्त करना भी सम्भव हो सका था। वर्ष 1976-77 के लिये खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 47 लाख टन

निर्धारित किया गया था। इसमें से 14.40 लाख टन खरीफ के लिये और 32.60 लाख टन आगमी रबी के लिये रिनर्धारित थे। आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि भारी बाढ़ और प्राकृतिक हानि के बावजूद खरीफ की फसल लक्ष्य से भी अधिकतर रही है और वास्तविक उत्पादन 14.77 लाख टन होने का अनुमान है जिसमें से 5.01 लाख टन चावल केन्द्रीय पूल में पहले ही दिया जा चुका है। रबी का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने का भी प्रयास किया जा रहा है और प्रमाणीकृत बीजों के वितरण तथा अन्य आवश्यक सामग्री का प्रबन्ध करने के लिए सरकार की विस्तार एजेंसी सक्रिय रही है। गेहूं के 27608 क्विंटल और चने के 7240 क्विंटल अधिक उपज वाली किस्मों के प्रमाणीकृत बीज क्रम 1: 150 रुपये तथा 135 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रियायती दरों पर वितरित दरों पर वितरित किये गये। खाद की खपत भी उत्साहजनक रूप से बढ़ी है। उदाहरण के रूप में, खरीफ 1976 के दौरान खाद की खपत 35000 टन के लक्ष्य के मुकाबले में 40339 टन तक पहुंच गई जबकि पूर्ववर्ती खरीफ वर्ष में वास्तविक खपत 25000 टन से थोड़ी कम थी। खाद की खपत पर उपदान की पर्याप्त राशि उपलब्ध करवाई जाती रही और इस उपदान पर राज्य द्वारा किया गया वर्ष 1976-76 का खर्च 56.09 लाख रुपये से बढ़ कर चालू वर्ष में 82.69 लाख रुपये हो गया।

यह उल्लेखनीय है कि बाढ़ से पिछली खरीफ फसल को भारी हानि होने के बाद सरकार ने रबी की बुवाई के लिए

अधिकतम सुविधा प्रदान करने के लिए बाढ़ तथा वर्षा के जमा हुए जल को निकालने का आदेश देने का साहसपूर्ण कदम उठाया है। इस प्रयोजन के लिए युद्ध-स्तर पर पम्पों द्वारा पानी निकालने का कार्य आरम्भ किया गया और आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अधिकांश बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में से जमा हुआ पानी निकाल कर उसे रबी की बुवाई के लिये उपयुक्त बना दिया गया था। भोश जो क्षेत्र रबी फसल की बुवाई के लिए उपयुक्त बना जा सका, उसमें सरकार ने खरीफ तथा रबी दोनों फसलों के लिए भूमि-कर, माफ करने का निर्णय लिया। यह माफी क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा आदिष्ट भूमि कर स्थगति करने के अतिरिक्त थी।

कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परियोजना कपास परियोजना है जो कि हिसार और सिरसा जिलों के हिस्सों में वि. व. बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना के प्रथम चरण में, सिरसा और रनिया विकास खंडों में कार्य शुरू किया गया है और आगामी तीन वर्षों के दौरान हर वर्ष एक-एक खंड जोड़ा जायेगा। इस परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित 40000 हैक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले में, प्रथम चरण में 43000 हैक्टेयर लाये जा चुके हैं।

विकास के इस क्षेत्र के अन्तर्गत जारी रहने वाले अन्य कार्यक्रम तीव्र गति से चलते रहे और इस प्रकार उत्पादन के अधिकाधिक लक्ष्य प्राप्त किये गए। यहां हरियाणा बीज विकास निगम का विशेष उल्लेख करना एंगत होगा जिसने वर्ष

1975-76 में 24612 क्विंटल धान, 68000 क्विंटल गेहूं और अन्य फसलों के लिए 4824 क्विंटल बीज तैयार किये। तैयार किए गये बीजों का कुछ हिस्सा राज्य में विरित किया गया और भोश भाग अन्य बीज तैयार कर सकेगा। आ ता है कि निगम राज्य में उपयोग में लाये जाने के लिए 6000 क्विंटल धान के बीज और 50000 क्विंटल गेहूं के बीज उपलब्ध करा सकेगा।

हरियाणा राज्य भूमि विकास तथा सुधार निगम आ ता करता है कि वह वर्ष 1976-77 के दौरान 4,600 एकड़ भूमि का सुधार और 4,933 एकड़ भूमि को समतल करवाने में सफल हो सकेगा। भूमि के अधिकतम सुधार के लिए प्रोत्साहन देने हेतु जिप्सम की खरीद के लिए छोटे किसानों को 50 प्रति ता तक अन्य किसानों को 25 प्रति ता की रियासत दी जा रही है। कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम ने करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत ओर जींद कि जिलों में 12000 हैक्टेयर भूमि के सुधार के लिए 555 लाख रूपये की स्कीम मंजूर ही है।

कृषि के लिए सिंचाई एक अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन है—वि शत पुरातन काल से भुशक प्रदे ता में। इसलिये मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार, जहां भी और जैसे भी हो, उपलब्ध जल को खोजने और नहरों, जल मार्गों के माध्यम से उसका सदुपयोग करने के लिए भरसक प्रत्यन करती रही है। ब्यास परियोजना अब लगभग मुकम्मिल होती हुई नजर आ रही है और भारत सरकार के निर्णयानुसार हरियाणा को राबी—ब्यास के

72 लाख एकड़ फुट फालतू जल में से 35 लाख एकड़ फुट जल मिलेगा। जल का वास्तविक उपयोग सतलुज यमुना योजक नहर के मुकम्मिल आने का अनुमान है। इस परियोजना पर 66.45 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इस परियोजना पर कार्य भुरु किया जा चुका है और मुझे आता है कि पंजाब से हमें पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा ताकि इस महत्वपूर्ण परियोजना को भीध ही मुकम्मिल किया जा सके ।

पंडित जवाहर लाल नेहरू उठान सिंचाई स्कीम एक और महत्वपूर्ण परियोजना है जिस पर कार्य जारी रहा और इस परियोजना पर चालू वर्ष के दौरान 16 करोड़ रुपये की राशि खर्च किये जाने की आता है। इस परियोजना के चालू पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्दर ही नियत समय पर मुकम्मिल हो जाने की आता है और इससे महेन्द्रगढ़, भिवानी, रोहतक जिलों के पिछड़ क्षेत्रों में ढाई लाख हैक्टेयर भूमि को लाभ पहुंचेगा। बीस सुत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 से वर्ष 1978-79 तक की अवधि के लिए 3.22 लाख हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा जुटाने का लक्ष्य था और पहले दो वर्षों में 1.09 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा जुटाये जाने की आता थी। यह बड़े सन्तोश की बात है कि पहले दो वर्षों के लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं।

सतही जल के उपयोग के इलावा, भूमिगत जल के अधिकतम उपयोग का भी पर्याप्त महत्व है। कृषि विभाग और

राज्य लघु सिंचाई और ट्यूबवैल निगम दोनों ही इस संसाधन के विकास पर कार्य कर रहे हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के डेढ़ वर्ष से थोड़े अधिक समय में जुलाई, 1975 के प्रारम्भ और इस वर्ष जनवरी के अन्त के बीच की अवधि के दौरान 206 गहरे नलकूपों, 15569 कम गहरे नलकूपों और पम्प सैटों और 214 छिड़काव सैटों वृद्धि हुई है। 30 जून, 1975 को राज्य में 2032 गहरे नलकूप थे जो कि इस वर्ष जनवरी में बढ़ कर 2238 हो गये। इसी तरह इस अवधि में कम गहरे नलकूपों और पम्प सैटों की संख्या 192337 से बढ़ कर 207906 और छिड़काव सैटों की संख्या 138 से बढ़कर 352 हो गयी है।

लघु सिंचाई और नलकूप निगम भी जल मार्गों को पक्का करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इस तरह इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन की हाने वाली पिरहार्य हानि को रोक रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि उनके प्रयत्नों से जल व्यवस्था अच्छी हो रही है जिसके फलस्वरूप बीत रहे वर्ष में लगभग 1,250 किलोमीटर लम्बाई वाले 483 जल-मार्गों को पक्का किया जायेगा।

सिंचाई के इलावा, कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य के लिए बिजली दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बिजली क्षेत्र की परियोजनाएं तीव्र गति से प्रगति करती रही। फरीदाबाद में 60 मैगावाट क्षमता वाला दूसरा यूनिट पिछले वर्ष मार्च में ग्रिड के साथ कनयत समय से एक महीना पहले ही चालू किया गया। फरीदाबाद में 60 मैगावाट के तीसरे यूनिट के

लिये मंजूरी प्राप्त करने के फलस्वरूप कार्य हाथ में लिया गया और आगा की जाती हैं कि सितम्बर, 1979 तक यह यूनिट चालू हो जाएगा। पानीपत थरमल प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 110 मैगावाट की क्षमता वाले दो यूनिटों पर कार्य नियत समय के अनुसार चल रहा है और 110 मैगावाट के प्रथम यूनिट के आगामी जून में चालू हो जाने की और इसके कुछ महीनों के बाद मार्च, 1979 में दूसरा यूनिट चालू किये जाने की सम्भावना है। पन्द्रह मैगावाट के चार बिजलीघरों वाली पश्चिमी यमुना नहर परियोजना के सर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य हाथ में लिया जा चुका है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी ही उपलब्ध हो जायेगी। ब्यास परियोजना के उपलब्ध होने वाली बिजली की अधिक मात्रा को दूसरे स्थानों तक ले जाने के लिए परिशण और वितरण प्रणाली को चालू का कार्य पूरे जोरों पर है और ऐसा अनुमान है कि चालू वर्ष में इन कार्यों पर 11 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके होंगे। चालू वर्ष में कम से कम 12,000 अतिरिक्त नलकूपों को बिजली दिये जाने की आगा है। वर्ष 1977-78 और 1978-79 में भी इतने नलकूपों को बिजली दी जायेगा।

हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ नाथपा-झकड़ी पन-बिजली परियोजना में सहभागी बनना, बिजली विकास के सम्बंध में हरियाणा सरकार का एक अति-महत्वपूर्ण निर्णय है। यह परियोजना नदी प्रवाह आधारित स्कीम है। और बिजली की उपलब्धता मौसम और जलवायु के अनुसार घटती बढ़ती रहेगी,

तथापि ऐसी आशा है कि औसत वर्षा में इससे 605 मैगावाट बिजली पैदा होगी जोकि 1,020 मैगावाट के चरमोत्पादन तक पहुंच सकती हैं। इस परियोजना की लागत 271 करोड़ रुपये होगी। हरियाणा सरकार इस लागत का 80 प्रतिशत भाग देने के लिये सहमत हो गई है। हरियाणा सरकार पैदा की जाने वाली बिजली को परियोजना स्थल से हरियाणा में ले जाने के लिये परिशण स्कीम पर होने वाले खर्च को भी सहन करने के लिए सहमत हो गई है। इस स्कीम पर 100 करोड़ रुपये और खर्च होने का अनुमान है। परियोजना से पैदा की जाने वाली बिजली के 80 प्रतिशत भाग पर हरियाणा सरकार का भाग होगा। जो बिजली हिमाचल प्रदेश के हिस्से में आएगी और उस राज्य की अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद फिलहाल रहेगी, उसे पारस्परिक सहमति के निर्धारित मूल्य पर खरीदने का अधिकार पहले हरियाणा राज्य का होगा। इस परियोजना के निष्पादन की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी।

सहकारी क्षेत्र को कृषि, उपजालन और सामान्यतः देहाती इलाकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। इसलिए प्राथमिक उधार ढांचे को पुनर्व्यवस्थित करने और 6,189 प्राथमिक कृषि उधार तथा सेवा समितियों के मिलाने को श्रेय हमारी सरकार को दिया जाना चाहिए। अब इन समितियों ने 2,168 बड़े और वित्तीय रूप में सक्षम यूनिटों का रूप धारण कर लिया है। इन्हें अब मिनी बैंकों के नाम से पुकारा जाता है। अब इन यूनिटों के

नियमित कार्यालय हैं और अब इनमें पूर्णकालिक प्रशिक्षित ऐसे मैनेजर काम करते हैं जो केन्द्रीय सहकारी बैंकों के सामान्य संवर्ग से सम्बन्ध रखते हैं। देश में सब से पहले हमारी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और भूमिहीनों को उपभोग ऋण देने के लिए भी नये प्रयास किए हैं।

राज्य में सहकारी क्षेत्र मध्यम और बड़े पैमाने की प्रौद्योगिक गतिविधियों में भी भाग लेता रहा है। सोनीपत और करनाल में दो नई चीनी मिलों में जनवरी, 1977 से उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। भाहबाद और पलवल में चीनी के दो अतिरिक्त कारखाने लगाए जाने की स्कीम तैयार हो रही है और जिला जीन्द में एक और कारखाना लगाए जाने पर सोच-विचार हो रहा है। हाँसी में कताई कारखाना स्थापित करने और चलाने के लिए एक सहकारी समिति रजिस्टर की गई है। इस कारखाने में उत्पादन भीघ्र ही आरम्भ हो जाएगा। पिछले हथकरघा बुनकर सहकारी समिति, पानीपत ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर 18 प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र स्थापित किए हैं। पिछले समिति ने कच्चे माल की सप्लाई का काम और सदस्य समितियों के तैयार माल के विपणन का काम भी किया। प्रौद्योगिक सहकारी संघ राज्य में चमड़े का काम करने वाले कामगारों के लिए रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू करता रहा और इस प्रयोजन के लिए विभिन्न स्थानों पर 21 चमड़ा प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र स्थापित किए गए। निर्माण कार्य का ठेका लेने और निष्पादित करने में 557 श्रम तथा निर्माण

समितियां प्राइवेट ठेकेदारों से प्रतियोगिता कर रही हैं। राज्य में 1700 विक्रय केन्द्रों सहित, जिला स्थानों और महत्वपूर्ण नगरों में स्थित 16 थोक सहकारी उपभोक्ता स्टोर यथोचित मूल्य पर अच्छे स्तर पर माल सप्लाई करके मूल्य स्थिर रखने में जुटे रहे। 1975-76 में इन स्टोरों ने 10.69 करोड़ रुपये का माल बेचा।

हरियाणा कृषि उद्योग निगम, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड, और हरियाणा वेयर हाउसिंग निगम भी राज्य में कृषि के आधारभूत ढांचे में सहायता देने में उपयोगी रहे हैं। हरियाणा कृषि उद्योग निगम ट्रैक्टरों को जोड़ने और उनके वितरण का काम करता रहा है। यह निगम उन किसान सेवा केंद्रों की स्थापना का काम भी करता रहा है जो अन्य कामों के साथ-साथ ट्रैक्टर, कम्बाइन, बुलडोजर जैसे कृषि सम्बन्धी उपस्कर किसानों को व्यक्तिगत रूप में किराए पर देते रहे हैं। यह निगम भंडार करने के लिए धान्य कोश्ट और रासायनिक खाद उपलब्ध करवाता रहा है। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड कृषि उपज के विक्रय, कय, विधान और भंडार को नियमित करता रहा है। हरियाणा राज्य वेयर हाउसिंग निगम ने, जिसे 1967 में 7000 मीटरी टन भण्डार-क्षमता प्राप्त की ली थी और ऐसी आ ता है कि भीध ही इस भण्डार-क्षमता 178,800 मीटरी टन हो जायेगी।

पुपालन और डेयरी उद्योग विशयों में सदा हमारी रुचि रही है। इसलिये इन क्षेत्रों में हमारी सरकार की दिलचस्पी प्र संसनीय है। पुपालन विभाग के कार्यक्रमों में उपयुक्त संकर

प्रजनन द्वारा देी या विदेी स्ट्रेन से नसल सुधार पर जोर रहा है। करनाल, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, जीन्द, भिवानी और अम्बाला जिलो में पहले से ही विधमान छ सधन प ि विकास परियोजनाओ के अलावा जिला सिरसा के दूध वाले क्षेत्र की आव यकता को पूरा करने के लिए सातवी परियोजना तैयार की जा रही है। संकर प्रजनन कार्यक्रम की सहायता के लिए कम ा: आस्ट्रेलियाई और डेनमार्क सरकारो के सहयोग से भारत-आस्ट्रेलियाई प ि प्रजनन परियोजना, हिसार और प्र ितित वीर्य बैंक, गुड़गांव की स्थापना की गई है।

हरियाणा डेरी विकास निगम विभिन्न दुग्ध संयंत्रो में दुग्ध विधायन में सक्रिय रहा है। निगम के कार्यक्रमो से दूध उत्पादको को उचित मूल्य पर दूध की बिक्री के लिए बिक्री केन्द्रो की व्यवस्था कर के लाभ पहुंचाया गया है और दूध से तैयार पदार्थ उपलब्ध करवा कर लाभ पहुंचाया जाता गया। निगम द्वारा अभी हाल में रोहतक में दुग्ध संयंत्र मुकम्मिल किया गया है, यह दुग्ध संयंत्र अब तक राज्य का सबसे बड़ा दुग्ध संयंत्र है जिसकी प्रतिदिन क्षमता एक लाख लिटर दूध का विधायन करने की है। फरीदाबाद में दुग्ध संयंत्र की भीधता से निर्माण किया जा रहा है।

वातावरण के सुधार के लिए वनरोपण के महत्व को समझते हुए सरकार का वन विभाग हमार सम्पदा की सुरक्षा और विस्तार के लिए पूरे जो ा से प्रत्यन कर रहा है। वर्ष 1976-77 के दौरान आर्थिक रूप से बहुमूल्य पोधो की किस्मो का आरोपण

किये जानक की सम्भावना है और राज्य की योजना के अधीन 69 लाख रूपये की लागत से 1.63 लाख पोधे लगाये जाएंगे। चालू वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमो के अन्तर्गत 1642 अतिरिक्त हैक्टेयर मे पोधारोपण किये जाने की आशा है। नये पोधे लगाने के अतिरिक्त विभाग द्वारा निष्पादित इमारती लकड़ी के कार्यों के माध्यम से वर्तमान वन सम्पदा से आर्थिक लाभ प्राप्त करने की ओर उचित ध्यान दिया जा रहा है। यह प्रयत्न राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण अंग बनता जा रहा है। आशा है वर्ष 1976-77 के दौरान वन राजस्व 103.00 लाख रूपये तक पहुच जायेगा।

परम्परा से हरियाणा एक कृषि-प्रधान राज्य रहा है। तथापि हरियाणा के गठन के पश्चात् जिस गति से कृषि का विकास हुआ है लगभग उसी गति से उद्योगो का विकास भी हो रहा है और सरकार की प्रगति नीतियो से प्रोत्साहन प्राप्त करके विभिन्न प्रकार के उद्योग धन्धे लगाये गये। वर्ष के पहले 8 महीनो में छोटे पैमानो के 733 यूनिटो को नियमित रूप से पंजीकृत किया गया। गत वर्ष के दौरान बड़े तथा मध्यम पैमाने के क्षेत्रो में औद्योगिक यूनिट लगाने के लिए भारत सरकार से 28 आदेश-पत्र और 36 औद्योगिक लाईसैस प्राप्त किये गये। इन परियोजनाओ पर लगभग 65.50 करोड़ रूपया लगेगा और इनसे लगभग 15000 व्यक्तियो को रोजगार मिल सकेगा। नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान है,

पानीपत में एक रासायनिक खाद का कारखाना लगा रहा है । सयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत धारूहेड़ा में एक सिंथेटिक डेटरजेंट संयंत्र स्थापित किया जा रहा है । जीन्द में सरकार की और से हरियाणा चर्म माला पहले ही चालू की जा चुकी है । बहुत सी अन्य प्राइवेट क्षेत्र परियोजना में से दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उल्लेख किया जा सकता है—जिनमें से धारूहेड़ा में कागज का कारखाना है और दूसरा गुड़गांव में कलाई धड़ियों का कारखाना है, जिन्हें अनिवासी भारतीयों द्वारा स्थापित किया जा रहा है और दोनों कारखानों पर लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च होगा और जिनमें 3000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा । वर्ष 1975-76 के दौरान राज्य से अब तक अधिकतम 45 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया जबकि पूर्व वर्ष में यह निर्यात 30.80 करोड़ का था । हाल की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि बहुदरगढ में एक नये औद्योगिक काम्प्लेक्स का स्थापित किया जाना है । इस काम्प्लेक्स को विकसित करने के लिए प्रथम चरण में 2600 औद्योगिक प्लॉट तैयार किये जायेंगे जोकि अगले मास प्राइवेट उद्यमियों को सौंप दिये जाने के लिए तैयार जो जायेंगे जो कि अगले मास प्राइवेट उद्यमियों को सौंप दिये जाने के लिए तैयार हो जायेंगे और इनका विकास कार्य इस वर्ष गर्मियों तक मुकम्मिल हो जायेगा ।

श्रम तथा औद्योगिक प्रोत्साहन विभाग, राज्य में उद्योगों के विकास के लिए भारी सहयोग प्रदान कर रहा है । यह सौभाग्य की बात है कि औद्योगिक संबंध अच्छे और मैत्रीपूर्ण रहे हैं और

हड़तालें तथा तालाबंदियां बहुत कम हुईं। चालू वर्ष के दौरान कामगारों के अनेक वर्गों की मजदूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन किये गए। औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग युवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने और शिक्षुता अभियान को क्रियान्वित करने में सक्रिय रहा है। विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 7648 उम्मीदवारों के लिए रखी गई सीटों के लिए अगस्त, 1976 में 43254 उम्मीदवारों ने प्रार्थना पत्र दिये। शिक्षुओं के संस्थापन के सम्बन्ध में 3000 से अधिक शिक्षुओं को संस्थापित किया गया और नवम्बर 1976 के अन्त तक विभिन्न संस्थानों में 4150 भिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे।

परिवहन, आर्थिक विकास और समाज में संचार साधनों का महत्वपूर्ण अंग है। निरंतर बढ़ती हुई यात्री संख्या को सस्ते से सस्ते किराये पर परिवहन की तुरन्त तथा पर्याप्त सुविधाएं जुटाने में हरियाणा राज्य परिवहन को पहले की भान्ति अकेले ही सारा कार्य करना पड़ा। विभाग प्रतिदिन लगभग 511000 यात्रियों की जरूरतों को पूरा कर रहा है और विभाग की बसें प्रतिदिन लगभग 440000 किलोमीटर फासला तय करती हैं। वित्त वर्ष 1975-76 के अंत तक बसों की संख्या 1680 थी और आता है कि चालू वर्ष के अंत तक यह संख्या बढ़कर 2100 हो जायेगी।

संचार के लिए सड़कें एक अन्य आवश्यक आधारभूत ढांचा हैं। हरियाणा का सौभाग्य है कि राज्य में जिन विकास कार्यों पर सबसे पहले ध्यान दिया गया उनमें से एक था—सड़कों का

जाल बिछाना। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में अपेक्षित विकास की दर अब अपेक्षतया कम हो गई। फिर भी मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि चालू वर्ष में 550 किलोमीटर पक्की सड़के बनाकर 250 अतिरिक्त गांवों को जोड़ दिया जा रहा है जायेगा। विभाग द्वारा ऐसी सड़कों को पक्का बनाने के कार्य पर जोर दिया जा रहा है जहां पर यह कार्य पहले नहीं किया गया था। गत वर्ष भारी बाढ़ आ जाने के कारण यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभागीय साधनों पर बहुत बोझा पड़ा और इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के लिए सरकार प्रशासन की पात्र है।

स्वस्थ भारीरों में स्वस्थ मनों वाले लोगों के लिए सभी आर्थिक लाभ सार्थक होते हैं। इस प्रकार शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सरकार की गतिविधियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि रोहतक विविद्यालय ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है और विविद्यालय के इर्द गिर्द 16 किलोमीटर तक 12 कालेजों को इससे सम्बन्ध कर दिया गया है। इस विविद्यालय का गठन एकात्मक स्वरूप की अवधारणा पर किया गया है और इसे जैव विज्ञान के भाषा एवं शिक्षण के लिए बनाया गया है। स्कूल शिक्षा स्तर पर सरकार ने 10+2 शिक्षा प्रणाली को क्रमिक रूप से आरम्भ करने का निर्णय लिया है तथा तदनुसार चालू वर्ष से सड़कों के लिए गणित तथा विज्ञान को 9वीं कक्षा से अनिवार्य बना दिया गया है। प्राइमरी श्रेणियों में बच्चों की

भरती के लिए अभिमान आरम्भ किया गया जिसके परिणाम स्वरूप 6-11 आयु वर्ग के लगभग 84000 अतिरिक्त बच्चों को समाप्त होने वाले वर्ष में नामांकित किया गया। इस प्रकार इस आयु वर्ग के नामांकन की समूची प्रगति 75 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। सभी वर्गों के अध्यापकों की सेवा काल में अध्यापन-प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूल शिक्षा स्तर में सुधार करने हेतु एक उचित कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

चालू वर्ष में ओशाधि, लोक स्वास्थ्य तथा सफाई के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति जारी रही। इस वर्ष के अन्त तक रिवाड़ी, टोहाना तथा राई में अस्पताल भवनो के निर्माण का कार्य पूरा हो जाने की सम्भावना है जबकि सोहना के परमर्षि अस्पताल का निर्माण कार्य भी आरम्भ हो चुका है तथा भिवानी के बड़े अस्पताल के निर्माण का प्रथम चरण भी पूर्ण हो जायेगा। स्वास्थ्य सुरक्षा पर प्रति व्यक्ति उपबन्ध 1975-76 में 10.79 रुपये से पर्याप्त रूप से बढ़कर चालू वर्ष में 11.56 रुपये हो गया है। इसी प्रकार ओशाधियों के लिए प्रति व्यक्ति उपबन्ध 1975-76 में 99 पैसे बढ़ाकर 1976-77 में 1रुपया 48 पैसे हो गया। राज्य हर महामारी से मुक्त रहा है और राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के जोरदार कार्यान्वयन से क्षय रोग जैसे भयानक रोगों पर पर्याय नियन्त्रण रहा है। राज्य के सभी जिलों में से 9 जिलों में यह कार्यक्रम चालू किया जा चुका है।

आ जा की जाती है कि चालू वित्त वर्ष में दो अतिरिक्त नगरों को आंशिक रूप से जल की सप्लाई कद दी जायेगी और इस प्रकार दो भाहरों में आंशिक रूप से मल-निकास व्यवस्था की सुविधाये उपलब्ध की जायेगी। 1976-77 में 65 गांवों को नल जल सुविधा प्राप्त हो चुकी है। चालू वर्ष में की गई प्रगति के परिणावस्वरूप आ जा की जाती है कि 924 गांवों को यह आवयक सुविधा प्राप्त हो जायेगी। हमारी सरकार ने जीवन बीमा निगम से इस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता का लाभ उठाया है और आ जा है कि भविष्य में भी ऐसी सहायता मिलती रहेगी। राज्य में जल-सप्लाई स्कीमों के लिए वि.व. बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए भी एक स्कीम तैयार करके केन्द्रीय सरकार को भेज दी गई है। इस स्कीम द्वारा 138.16 करोड़ रुपये की लागत से 3213 गांवों को यह सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

वातावरण तथा रहन सहन की और अधिकारिक ध्यान दिया जा रहा है। इस संबंध में हरियाणा आवास बोर्ड द्वारा किया गया मार्गदर्शिक कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पिछले वर्ष मार्च के अन्त तक बोर्ड 2900 मकान बना चुका था और यह इस मास के अन्त तक 2000 और मकान बना लेगा। सहकारी क्षेत्र में शिखर सहकारी आवास वित्त समिति भी सहकारी आवास स्कीम तथा माध्यम आय वर्ग आवास स्कीम कार्यान्वित की जाती रही और पात्र व्यक्तियों को ऋण दिये गये। मैं 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम

के अनतर्गत क्रियान्वित की गई विशेष स्कीमों को पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ जिनके अंतर्गत उन व्यक्तियों के लिए वित्त व्यवस्था की जा रही है जिन्हें मकान बनाने के लिए जगह अलाट की गई । इन मामलों में वित्त व्यवस्था की सीमा 2400 रुपये से 3000 रुपये तक रखी गई है जो कि मकान लागत का लगभग 80 प्रतिशत है । हाल ही में सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार समाज के आर्थिक रूप से उन कमजोर वर्गों, जिनकी वार्षिक आय 3600 रुपये से कम है तथा जो श्रेणी I और श्रेणी II की नगरपालिकाओं में रहते हैं के लिए 5000 रुपये तक की कीमत में निर्मित मकान का उपलब्ध किया जाना है । मुझे विश्वास है कि सरकार के इन प्रगतिशील निर्णयों से समाज के कमजोर वर्गों का जीवन स्तर ऊँचा करने में दूरगामी प्रभाव पड़ेगा ।

पर्यटन के क्षेत्र में हरियाणा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने में सफल हुआ है । विदेशी तथा देशी पर्यटकों को व्यावसायिक दक्षता के साथ आवश्यक सुविधाएँ जुटाई जा रही हैं । संक्षेप में कहा जा सकता है कि क्रियात्मक मूल्यों के साथ सांसारिक मूल्यों का सम्मिश्रण किया गया है । इस क्षेत्र में लगातार अच्छा कार्य करने के लिए सरकार प्रोत्साहनात्मक की पात्र है । विभाग को सबसे महत्वपूर्ण श्रेय इस बात से प्राप्त होता है कि देश के अन्य राज्यों की ओर से हरियाणा पर्यटन विभाग को परामर्श-सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए प्रार्थनाएँ की गई हैं ।

इस समय उत्तर प्रदेश राज्य में अनेक स्थानों पर तथा ब्यास परियोजना पर पासन को भी ऐसी सेवाएँ जुटाई जा रही हैं ।

समाज के कमजोर वर्गों, अनाश्रितों, अनाथों तथा निर्धन वर्गों की सुरक्षा तथा कल्याण की ओर सरकार विशेष रूप से सदा ध्यान देती रही है । उनकी स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न स्कीमों आरम्भ की गई हैं जिनका थोड़ा उल्लेख मैंने यहां करना है । उपेक्षित तथा अपचारी बच्चों की शिक्षा तथा पुर्नवास के लिए भिवानी में जवाहर बाल भवन का निर्माण किया जा रहा है । अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी श्रेणी के कल्याण संबंधी विभाग ऐसी विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है जिनका उद्देश्य इन जातियों तथा श्रेणियों के लोगों के लिए आजिविका के सम्मानपूर्ण साधन जुटाना और उनके उत्थान के लिए आवश्यक उचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देना है । उदाहरणतया चालू वित्त वर्ष के दौरान प्राथमिक तथा माध्यमिक श्रेणियों में पढ़ने वाली अनुसूचित जातियों की छात्राओं को वर्दी देने के लिए एक स्कीम शुरू की गई । अनुमान है कि इस स्कीम से 6660 छात्राओं को लाभ होगा । हरिजनो द्वारा चलाए जा रहे औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उद्यमों को वित्तीय सहायता देने में हरियाणा हरिजन कल्याण निगम सक्रिय रहा है । निगम ने करनाल में जुता बनाने के केन्द्र, मुरथल में कार्ड बोर्ड के पैकिंग-डिब्बे बनाने के युनिट, गोहाना में चमड़े की वस्तुएँ बनाने के केन्द्र की स्थापना की

है तथा इस प्रकार से बनाई अनेक स्कीमो पर कार्य प्रारम्भ किया है ।

निरन्तर बढ़ रही जनसंख्या के कारण कम हो रहे आर्थिक लाभों का बचाव किया जाना है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अनेक वर्ष पूर्व परिवार नियोजन कार्यक्रम आरम्भ किया था । मुझे यह जानकर हर्ष हुआ कि राज्य के लोगो, स्थानीय नेताओ,ओधोगिक प्रबन्धको,श्रमिक संघो तथा समाज के समाजिक तौर पर सतर्क तथा जिम्मेवार अन्य सभी वर्गो के सहयोग से जनसंख्या वृद्धि को रोकने मे हमने सन्तोशजनक प्रगति की है ।

समाप्त हाने वाले वर्ष में राज्य में कानून तथा व्यवस्था कि स्थिति अच्छी प्रकार नियन्त्रणहीन हो रही । सरकार इस बात की बधाई दी जानी है कि चालु वर्ष के दौरान जान तथा माल सम्बन्धी अपराध वास्तविक रूप से कम हुए है । हरियाणा की पुलिस भाक्ति का अनुपासन तथा प्रिक्षण उल्लेखनीय रहा है । प्रिक्षण सुविधाओ में निरन्तर सुधार किया गया है और आधुनिक दूर संचार उपस्कर की व्यवस्था एवं परिवहन सुविधाओ से कार्यकुशलता में पर्याप्त वृद्धि हुई है । मधुबन में आदर्श कैम्पस स्थापित किया जा रहा है जहां पर राज्य पुलिस प्रिक्षण कालेज तथा राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला भी होगी, जिसमें कार्य शुरू हो चुका है । यह आशा की जाती है कि हरियाणा पुलिस अपनी

कार्यकुशलता के लिए विख्यात रहेगी जोकि भ्रान्ति,व्यवस्था तथा अनुशासन की परिस्थिति में राज्य के विकास के लिए अनिवार्य है।

यह स्पष्ट ही है कि समाप्त होने वाले वर्ष में महत्वपूर्ण सर्वांगीण उपलब्धियां हुई हैं। राज्य अपने प्रगति के रिकार्ड को बनाए रखने तथा उसमें सुधार करने में संक्षम रहा है। राज्य में अनुशासन और भ्रान्ति भी बनी रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राज्य के लोगो द्वारा सरकार को पूर्ण समर्थन एवं सहयोग दिए जाने के कारण ही ऐसा सम्भव हुआ है।

अब आप उस महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हो जाएंगे जिस के लिए आप सब एकत्रित हुए हैं। आप के विमर्श ने राज्य के भाग्य का स्वरूप निर्धारित करना है। मुझे आशा है कि इसके परिणामस्वरूप राज्य के विकास की गति तीव्र होगी तथा इस राज्य के लोगो की समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की प्राप्ति होगी जिसके वे पूर्णतया अधिकारी हैं।

कार्यमन्त्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन

Mr. Speaker: I Report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various Business.

The committee met at 2.45 p.m. on Wednesday, the 23rd March, in the chamber of the speaker.

The Speaker presented the First Report of the Business Advisory Committee.

The Committee, after, some discussion, recommends that the Assembly will met on the 23rd March, 1977 (half-an-hour after the conclusion of the Governor's Address) and transact the following Business.-

1. Laying of a copy of the Government Address on the table of the House.

2. Presentation and Adoption of the First Report of the Business Advisory Committee.

3. Motion regarding suspension of rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly and transaction of Government Business on Thursday, the 24th March, 1977.

4. Obituary References

2. The Committee also recommended that on the 24th and 25th March, 1977, the Assembly will hold two sittings i.e. at 9.30 a.m. and 2.00 p.m. on each day and transact the business as follows:-

Thursday, the 24th March, 1977.

First Sitting (9.30 a.m.)	1. Question Hour. 2. Presentation to be laid on
---------------------------	--

	<p>the table of the House including Ordinances etc.</p> <p>3. Presentation of Supplementary Estimates (Third Installment) for the year 1976-77 and the Report of the Estimate Committee thereon.</p> <p>4. Presentation of Excess Demands for over Grants Appropriations.</p> <p>5. Motion regarding postponed in favour of financial and other (date bound) Government Business and that the discussion on the Address be adjourned to a subsequent day to be appointed by the Speaker.”</p>
<p>Second Sitting (2.00 p.m.)</p>	<p>(1). Discussion and Voting on Demands for Supplementary Estimates (Third Installment) for the year 1976-77.</p> <p>(2). Discussion and Voting on Excess Demands for Grants over Appropriations.</p>

	(3). Legislative Business.
--	----------------------------

Friday, the 25th March, 1977

First Sitting (9.30 a.m.)	1. Question Hour. 2. General discussion on Budget.
Second Sitting (2.00 p.m.)	1. Extension of the term of the Committee on Welfare of Scheduled Castes. 2. Discussion and Voting on Demands for grants on Budget.

The Committee further recommended that the assembly will also meet on Saturday, the 26th March, 1977, at 9.30 a.m. to transact the following business-

1. Question Hour.
2. Appropriation Bill on Budget.
3. Appropriation Bill on supplementary Estimates.
4. Appropriation Excess Demands for Grants over Appropriations.
5. Legislative Business.

Transport minister (Sh. K.L. Poswal moved:- Sir, I beg to move:-

”That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.”

Mr. Speaker: Motion moved:-

”That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.”

चोधरी राम लाल वधवा(करनाल): स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना है कि अब तो एमरजेंसी खत्म हो गई है, ऐसा क्या हो गया कि नान-आफि टायल डे को भी आफि टायल डे में कन्वर्ट किया जा रहा है और दो-दो सिटिंगज हो रही हैं। मेरा रैज्योल्यूशन बैल्ट के अन्दर आया है उस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि सरकार भाग क्यों रही है अगर इसे भागना ही है तो वैसे ही इस्तीफा दे दे(गोर)

मुख्यमंत्री(श्री बनारसी दास गुप्ता): आपने जो तीर चलाना है कल चला लेना, परसो चला लेना.....(गोर)

चोधरी राम लाल वधवा: उसकी फिकर क्यों करते हो वह जो जनता चलाएगी। स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना है कि सैशन आराम से चलाया जायें। दो-दो सिटिंगज करने की कोई वजह तो होनी चाहिए। फिर नान-आफि टायल डे को उड़ाना ठीक नहीं

है। एक महत्वपूर्ण रैजोल्यूशन इन बैलट में आया हुआ है कि जोकि 18 साल की आयु वाले को वोट का हक देने के बारे में कॉस्टीच्यूशन अमैड करने के लिए है, उस पर बहस होनी चाहिए..
.....(विधन)---

श्री बनारसी दास गुप्त: यह तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है। अब आपकी सरकार बन गई है, अब कर देना --(गोर)

Mr. Speaker: Order please. No repetitions.

चौधरी शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब मेरी प्रार्थना यह है कि हफ्ते में केवल एक दिन नान-आफिशियल डे होता है उसको भी आफिशियल बनाना ठीक नहीं है।

श्री के. एन. गुलाटी: स्पीकर साहब, इनको मंजूर नहीं तो बाहर चले जाएं --(गोर)

Mr. Speaker: Order please.

चौधरी राम लाल वधवा: छाज तो बोले छलनी क्या बोले.....

चौधरी शिव लाल वर्मा: स्पीकर साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि गैर सरकारी दिन को सरकारी दिन में इसलिये तो नहीं बदला जा रहा हूँ कि विरोधी पक्ष के एक विधायक का रैजोल्यूशन आया हुआ है ? ऐसा करने का इनको क्या अधिकार है ? क्या ये अभी तक भी जनता की अवाज नहीं

समझें। मेरा निवेदन है कि कल और अगला वीरवार गैर सरकारी तौर पर काम के लिए चलना चाहिए। दिन बहुत पड़े हैं चाहिये ये एक महीना से इन चला ले।

परिवहन मंत्री(श्री के.एल.पोसवाल.): बजट 30-3-77 तक पास होना है।

गृह तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री(श्री मति भारदा रानी): स्पीकर साहब, अब सेंटर में इनकी सरकार बन गई है अब इनको जिम्मेदाराना ढंग से बात करनी चाहिए.....(गोर)

चौधरी प्रताप सिंह चौटाला: स्पीकर साहब, मेरी अर्ज यह है कि आप जैसे तजुर्बेकार आदमी का यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह गैर सरकारी प्रस्ताव का दिन है यह पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में निहायत ही जरूरी प्रोविजन है।

श्री के.एल. पोसवाल: रूल 30 के बारे में अगली अमेडमेंट आ रही है उस वक्त कह लेना।

Mr. Speaker: Question is-

That this house agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

Transport Minister(Shri K.L. Poswal): Sir, I beg to move-

that rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana legislative Assemble be suspended and Government Business be transcted on Thursday, the 24the March, 1977.

Mr. Speaker: Motion moved-

that rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Busniness in the Haryana legislative Assemble be suspended and Government Business be transcted on Thursday, the 24the March, 1977.

चौधरी प्रताप सिंह दौलता(बेरी): स्पीकर साहब आप और लीडर आफ दी हाउस इस हाउस के कस्टोडियन है । मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि यह हमारा जो प्रिविलेज है उसको हाउस की कंसैट के बगैर छीना जा रहा है यानि कल नान-आफि ियल डे को आफि ियल डे में कनवर्ट किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। इस प्रैक्टिस को हमे ऐड करना चाहिये और नान आफि ियल डे को नान आफि ियल डे ही रखा जाना चाहिए। इसको आफि ियल डे में तबदील करने का कोई रीजन मालूम नहीं होता है। अब अराम से बजट सै िन चलना चाहिये, क्या जल्दी है ? मुझै इस बात से मतलब नहीं कि कितने दिन चलना चाहिए लेकिन मै इस हाउस के राइटस असर्ट करना चाहता

हूँ that-non official day should be not summarily be utilized for official work. With this, I request through you, sir to the Leader of the House to reconsider this matter. It is very serious matter and in Parliament it has never been done.

मुख्यमंत्री(श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि रूलज के अन्दर प्रोवीजन है जब भी कभी ऐसी आव यकता पड़े या कोई कठिनाई आए तो हम नान-आफि टायल-डे को आफि टायल डे मे बदल सकत है । अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को अच्छी प्रकार जानते है कि हमने 31 मार्च से पहले बजट को पास करना है और अगर हम बजट पास नहीं करेंगे सरकार का काम बंद हो जायेगा । टाईम हमारे पास बहुत कम है इसलिये ऐसा करना पड़ा। मै हाउस को यह आ वासन देता हूँ कि हफते नान-आफि टायल डे को आफि टायल डे ही रखेगे उस दिन हम गैर सरकारी बिजनैस पर डिस्कान कर लेगे ।

Mr. Speaker: Question is-

that rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Busniness in the Haryana legislative Assemble be suspended and Government Business be transcted on Thursday, the 24the March, 1977.

The motion was carried.

भाक प्रस्ताव

Mr.Speaker: Obituary References.

मुख्यमंत्री(श्री बनारसी दास गुप्त):— अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम इस पवित्र सदन में इकट्ठे होते हैं तो हमें अपने और कर्तव्य के साथ-साथ एक खेदजनक कर्तव्य का भी निर्वहन करना पड़ता है हि हमारे जो दिवंगत नेता हैं उनके प्रति हम भावुक प्रकट करते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस बार हमारे राष्ट्र को इतनी भारी क्षति पूर्ति होना ने केवल कठिन है बल्कि असंभव है ।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन भारत के पांचवे राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद के 11 फरवरी 1977 को हुए दुखद निधन पर गहरा भावुक व्यक्त करता है ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म 13 मई 1905 को दिल्ली में हुआ । उनके पिता कर्नल जैड.ए. अहमद मूलतः असम के गोलाघाट उप-मण्डल के निवासी थे । श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रारम्भिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के गोण्डा नामक स्थान के राजकीय हाई स्कूल में पाई और ओर उसके पचास साल उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली एवं सेंट कैथरीन कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की । कानून का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद 1928 में वह इनर टेम्पल में बैरिस्टर के रूप में प्रविष्ट हुए । भारत लौटने पर श्री अहमद ने अपना नाम बतौर एडवोकेट पंजाब उच्च न्यायलय में नामांकित करवाया । किन्तु उसी वर्ष वह असम चले गये ।

इसके बाद वह कांग्रेस में सम्मिलित हो गए और 1931 के उथल-पुथल के दिनों में राजनीति में कूद पड़े। 1935 में असम विधानसभा के लिए चुने गये और 1938 में श्री गोपीनाथ बारदोलाई के नेतृत्व में गठित कांग्रेस के पहले मंत्रिमंडल में उन्होंने वित्त एवं राजस्व मंत्री का कार्यभार सम्भाला। उन्होंने 1939 और 1945 के दौरान कई बार जेल यात्रा की।

श्री अहमद 1954 से 1957 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। उन्होंने 1955 में रूस जाने वाले भारतीय वकील मिश्रिमण्डल का नेतृत्व किया। वह 1957 में भारतीय मिश्रिमण्डल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र गये। वह 1957 से 1966 तक असम मंत्रिमण्डल तक में भी रहे।

श्री अहमद अप्रैल, 1966 में पुनः राज्यसभा के लिए चुने गए और उन्होंने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सम्भाला।

वह 1967 के आम चुनावों में असम के बरपेटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और औद्योगिक विकास एवं कम्पनी कार्य विभागों में मन्त्री नियुक्त किए गए। उन्होंने जून 1970 में कृषि मंत्री के पद का दायित्व सम्भाला तथा मार्च 1971 के आम चुनावों में लोकसभा के लिए निर्वाचित होने पर वह पुनः कृषि मंत्री के पद पर आसीन हुए और जुलाई 1974 तक इस पद पर कार्य करते रहे। अगस्त, 1974 में वह भारत के

राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए और निधन तक इसी पद पर आसीन रहे ।

श्री फखरुद्दीन अली महमूद साहब दे । के उन महान नेताओं में से एक थे जिन्होंने भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया । दे । के सर्वोच्च पद पर उनका आसीन होना उनके गत 40 वर्षों से भी अधिक वि । िष्ट राजनितिक जीवन की चरम परिणति थी ।

लोकतन्त्र, समाजवाद और धर्म निरपेक्षता में उनकी अटूट आस्था थी । उन्होंने राष्ट्रीय एकता को सुदृढ बनाने में महत्वपूर्ण योग दिया ।

वह अपने सरल मन, निस्वार्थ सेवा, मृदुभाषिता और ि िष्ट स्वभाव के लिए विख्यात थे । वह अपनी व्यवस्तताओं के होते हुए भी खेलों में भारी रूचि रखते थे और उन्होंने दे । में खेलों के प्रोत्साहन के कार्य में वि । िष्ट योग दिया ।

यह सदन दिवंगत राष्ट्रपति के भाोक—संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री अली यावर जंग बहादुर के 11 दिसम्बर, 1976 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है ।

श्री अली जंग बहादुर का जन्म 16 फरवरी, 1905 को हुआ। उन्होंने पहले हैदराबाद में और तत्पश्चात् आक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपना व्यवसायिक जीवन उस्मानिया विश्वविद्यालय में एक शिक्षाविद् के रूप में आरम्भ किया। वह पुरानी हैदराबाद सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते रहे, किन्तु 1947 में उन्होंने संयुक्त रूप राष्ट्र को जाने वाले कई भारतीय मिश्टमण्डलों का नेतृत्व भी किया और बाद में विभिन्न दायित्व निभाने के सम्बन्ध में वह फ्रांस, ग्रीस, यूगोस्लाविया, लीबिया, लेबनान और संयुक्त राष्ट्र भी गए।

उन्होंने 1965 से 1968 तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति पद को सुशोभित किया। 1970 में उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद को सम्भाला और निधन तक इसी पद पर आसीन रहे। उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया।

उनके निधन से देश ने एक महान कूटनीतिज्ञ तथा प्रशासक खो दिया है।

यह सदन दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं भूतपूर्व संसद सदस्य श्री उच्छृंग राय

नवल इंकर डेबर के 11 मार्च, 1977 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री डेबर का जन्म 21 सितम्बर, 1905 को हुआ। उन्होंने 1928 में वकालत की परीक्षा पास की। इसके बाद वह राजकोट में 1929 तक वकालत करते रहे। वह 1936 में पहली बार महात्मा गांधी जी से मिले और वकालत की प्रैक्टिस छोड़कर आस-पास के गांवों में सहायता कार्य करने लगे। उन्होंने कांग्रेस दल के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया।

श्री डेबर ने 1937 में मोरीबन्द काठियावाला राजनीतिक सभा को पुनरजीवित किया और इसके सेक्रेटरी पद का दायित्व सम्भाला। वह इस पद पर 1948 तक रहे। राजकोट सत्याग्रह में भाग लेने के कारण 1938-39 में उन्होंने तीन बार जेल यात्रा की। 1941 में उन्होंने वैयक्तिक रूप से सत्याग्रह किया। 1942 के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में भाग लेने पर पुनः जेल जाना पड़ा। 1945 में वह गुजरात प्रदेश का कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी चुने गये।

श्री डेबर ने 1948 से 1954 तक सोराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री पद को सु गोभित किया। सोराष्ट्र के पिछले क्षेत्रों की समस्याओं को उन्होंने अत्यन्त साहसपूर्ण ढंग से सुलझाया। वह 1955 और 1957 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वह पुरानी प्रेरणात्मक-वृत्ति के लिए सुविख्यात थे। महात्मा गांधी ने उन्हें एक साहसी एवं सच्चा सुधारक कहा था। वह मित-भाशी थे

और कांग्रेस दल में उन्हे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। सादगी एवं सच्चाई के गुणों के कारण उनका व्यक्तित्व और भी महान् हो गया था। वह 1962 में लोसभा सदस्य निर्वाचित हुए, किन्तु खादी आयोग के चेयमैन पद पर नियुक्त होने के कारण उन्होंने संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया।

यह सदन दिवंगत नेता के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करता है।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय खाद्य एवं पूर्ति मंत्री श्री अजीत प्रसाद जैन के 2 जनवरी, 1977 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री जैन का जन्म 1902 में हुआ। उन्होंने एम.ए. और एल.एल.बी. की परीक्षाएं लखनउ वि विद्यालय से उत्तीर्ण की। श्री जैन अपने राज्य, उत्तर प्रदेश में कई राजनीतिक आन्दोलनों में अग्रणी रहे। उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित होने के उपरान्त उन्हे 1937 में गठित पहले मन्त्रिमण्डल में कनिश्ठ मंत्री नियुक्त किया गया। वह सविधान सभा के सदस्य भी रहे।

श्री जैन 1950 में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित हुए और उन्हे सहायता एवं पुनर्वास मंत्री नियुक्त किया गया और बाद में उन्होंने खाद्य मंत्रालय का कार्यभार सम्भाला। वह 1960 से 1964 तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान रहे। उन्होंने थोड़े समय के लिए 1965-66 में केरल राज्य के राज्यपाल पद को भी

सु गोभित किया। इसके प चात् वह पुनः सक्रिय राजनीति में लोट आये।

उनके निधन से दे ा का उच्च कोटि के नेता तथा कु ाल प्र ासक की सेवाओ से वंचित हो गया है।

यह सदन दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यो से अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री देवेन्द्र सिंह लाम्बा के 26 नवम्बर 1976 को हुए दुखद एवं असामयिक निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री लाम्बा का जन्म जिला भिवानी के गांव अलखपुरा में 15 अप्रैल, 1929 को हुआ। उन्होंने ि ाक्षा लाहौर और रोहतक में प्राप्त की और कानून की परीक्षा दिल्ली वि वविद्यालय से उत्तीर्ण की। उन्होंने अपनी आजीविका 1953 में हिसार में अधिवक्ता(प्लीडर) के रूप में आरम्भ की और 1964 से 1968 तक सरकारी रिसीवर के रूप में कार्य करते रहे। 1962 में उन्होंने अपने को पंजाब उच्च न्यायालय के एडवोकेट के रूप में नांमांकित करवाया।

श्री लाम्बा 1970 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की विधि परिशद् के सदस्य निर्वाचित हुए और 1974 में इसी परिशद् के सर्वसम्मति से चेयरमैन चुने गये। वह पंजाब

वि विद्यालय की विधि संकाय की दो पदावधियों के लिए 1971 से 1975 तक सदस्य चुने गये।

वह अक्टूबर, 1970 में उप-महाधिवक्ता नियुक्त हुए और बाद में पहली जुलाई, 1974 को उन्हें वरिष्ठ उप-महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। वह 6 मार्च, 1976 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अपर नयायाधिपति के पद पर नियुक्त हुए।

उनके निधन पर हरियाणा राज्य के एक प्रख्यात विधिवेत्ता, प्रतिष्ठित नागरिक और एक मानवतावादी महापुरुष की सेवाओं से वंचित हो गया है।

यह सदन दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।

अध्यक्ष महोदय, हमें यह बताते हुये दुःख होता है कि श्रीमती लज्जारानी जो पिछले से 11 में हमारे बीच बैठी हुई थी, आज हमारे बीच में से उठ गई है।

इसलिये यह सदन बाढड़ा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हरियाणा विधानसभा की सदस्या श्री मति लज्जारानी के पहली मार्च 1977 को हुए दुखद निधन पर हार्दिक भाोक प्रकट करता है।

श्री मति लज्जारानी का जन्म जिला भिवानी के गांव अलखपुरा में 14 मई 1920 को हुआ। उनके पिता का नाम चौधरी

मामचन्द था। उनके पिता स्वर्गीय श्री अमीर सिंह हरियाणा मन्त्रिमण्डल में राज्य मंत्री थे।

वह कई वर्षों तक पंचायत ग्राम झोझूकलां की सदस्या रही और 1964 में पंचायत समिति की सदस्या निर्वाचित हुई। वह अमीर सिंह शिक्षा स्मारक संस्था की उप-प्रधान भी थी।

श्री मति लज्जा रानी समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में विशेष रुचि लेती थी। उनकी समाजिक गतिविधियों में हरिजन कल्याण, बाल कल्याण, ग्राम स्वच्छता तथा महिला समितियों का संगठन आदि कार्य प्रमुख थे।

यह सदन दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करता है।

अध्यक्ष महोदय यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री आर.एम.हजारनवीस के 28 दिसम्बर 1976 को हुए दुःखद निधन पर भाोक प्रकट करता है।

श्री आर.एम.हजारनवीस का जन्म 24 फरवरी 1908 को हुआ। उन्होंने बी.एस.सी. की परीक्षा मॉरिस कॉलिज से और एल. एल.बी. की परीक्षा वि. विद्यालय लां कालेज, नागपुर से उत्तीर्ण की।

वह 1941 से 1944 तक 'बीड़ी कामगार संघ' के प्रधान रहे। 1955 में उन्होंने नागपुर निगम काँउंसलर पद का दायित्व

निभाया। वह 1956 में 'जनता सहकारी आवास' समिति के चेयरमैन भी रहे।

श्री हजारीनवीस 1957 से दिसम्बर 1969 तक लोकसभा के सदस्य रहे। 1958 में वह केन्द्रीय मंत्रि परिषद् में सम्मिलित हुए और समय समय पर उन्होंने खान एवं ईंधन, गृह, आपूर्ति, सांस्कृतिक कार्य, विधि तथा समाजिक सुरक्षा एवं श्रम मंत्रालयों का कार्यभार सम्भाला।

यह सदन दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करता है।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन विख्यात मार्क्सवादी नेता श्री ए.के.गोपालन के 22 मार्च 1977 को हुए दःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री गोपालन केरल राज्य के कैननोर जिले में 1 अक्टूबर, 1904 को पैदा हुए। उन्होंने मि. एन. हाई स्कूल तथा ब्रैन्सन कॉलेज तिलिचरी से शिक्षा प्राप्त की और अपने जीवन की शुरुवात एक अध्यापक के रूप में की। 1927 में अखिल भारतीय कांग्रेस में सम्मिलित हो गए और स्वाधीनता संघर्ष में कूद पड़े। श्री गोपालन अनेकों वर्षों तक कांग्रेस महासमिति के सदस्य और केरल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। कुछ समय का उनका सम्बन्ध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से भी रहा।

श्री गोपालन का ट्रेड युनियनो और किसान आन्दोलनो से विशेष सम्बन्ध रहा। उन्होंने कृषक वर्ग में जन-चेतना पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनेको बार वह जेल गए और 5 साल तक भूमिगत भी रहे। 1939 में वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए और 1941 में उन्हें बन्दी बना लिया गया। अपने बन्दी जीवन में श्री गोपालन वैल्लोर जेल से भाग निकले और 1946 में अपने अज्ञातवास से बाहर आये।

1952 के आम चुनावो मे वह पहली बार लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और लगातार पिछली जनवरी तक जब कि लोकसभा भंग हुई, सदस्य बने रहे।

उनके निधनसे दे आ ने एक महान् प्रगति मिल नेता और विख्यात स्वाधीनता सेनानी खो दिया है।

यह सदन दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यो से अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।

चोधरी रिजक राम(राई): स्पीकर साहब, जिन महापुरुशो के स्वर्गवास होने पर मुख्यमंत्री जी ने भाोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और जो विचार प्रकट किए है, मैं उनके साथ सहमति प्रकट करता हूं। इसमे काई सन्देह नहीं कि इस मौका पर इन महापुरुशो के दे आ से चले जाने पर दे आ को बड़ी भारी हानि हुई है। इन्होने दे आ को बनाने में, बड़ा भारी भाग लिया है। इस समय, जबकि दे आ को उनकी बड़ी भारी आवश्यकता थी, वे

हम से जुदा हो गए। इसमें हमे और हमारे दे 1 को बड़ा भारी खेद और दुख है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद, भारत के राष्ट्रपति के साथ मुझे पार्लियामेंट मे काम करने का मौका मिला, कांग्रेस के न होते हुए भी मुझे कितनी बार उनसे वास्ता पड़ा। स्पीकर साहब, जिस समय दे 1 को दो अलग अलग राष्ट्र, जाति की बिना पर बनाने की हवा चल रही थी, मुस्लिम लीग की तरफ से जो आंधी चल रही थी, उस समय वे राजनीति में दाखिल हुए और इस बात के प्रयत्न करते रहे कि दे 1 में हिन्दू और मुस्लिम के नाम पर विभाजन न हो। जो विभाजन के पक्ष में थे, उनके साथ इन्होंने टक्कर ली और आखिर तक इस सिद्धान्त के हामी रहे। जो विचार मुख्यमंत्री ने प्रकट किए है, मैं उनके साथ सहमत हूँ।

श्री उच्छृंगराय नवल ांकर ढेबर भाई आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रधान रहे और इन्होंने अपनी प्रधानता के समय सबसे ज्यादा इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस में भामिल होने वाले सदस्य, चाहे वे निर्वाचित सदस्य हो, चाहे आम सदस्य हो, चरित्रहीन नहीं होने चाहिए। सदस्य का चरित्र उंचा होना चाहिए। वही भामिल होना चाहिए जो रचनात्मक कामों में भाग ले, वही सही मायनो में गांधी जी की फिलासफी थी, यही उनका सिद्धान्त था। इन्होंने गांधी जी की फिलासफी के मुताबिक, सिद्धान्त के मुताबिक रचनात्मक कार्य करने में जो श्रम किया है, दे 1 जो रास्ता दिखाया है, उसकी भायद ही काई मिसाल हो। इन्ही के

समय में आद र्वाद पर और सिद्धान्त पर काम करने पर जोर दिया गया। इनके निधन से दे ा को बड़ी भारी हानि हुई है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

श्री देवेन्द्र सिंह लाम्बा जी के बारे में चौधरी प्रताप सिंह जी को ज्यादा वाकफियत है, वे अपने विचार सदन में रखेंगे। जहां तक मुझे वास्ता पड़ा है आम आदमी भी यही कहता है कि जब वे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करते थे या जब सिनीयर डिप्टी एडवोकेट जनरल के तौर पर काम करते थे, वे अपना कार्य बड़ी कु ालता से करते थे। कोई भी आदमी जिनसे उनका वास्ता पड़ा है, कोई नुकताचीनी नहीं करता, हरेक की जबान पर उनकी तारीफ थी.....उनकी भाराफत की, उनके सदाचार की और उनकी सद्भावना की। सब लोग उनकी प्र ासा करते थे।

श्री मति लज्जा रानी, जो इस सदन की एक सदस्या थी, बहुत पिछड़े इलाके से ताल्लुक रखती थी। इन्हाने मेम्बर बनने के बाद उस इलाके की जो सेवा की है, उसकी मिसाल कही नहीं मिलती। स्पीकर साहब, मुझे उनके इलाके पास जाने का मौका मिला है। इनके स्वर्गीय पति की बड़ी भारी इज्जत है, सम्मान है क्योंकि इन्हाने निष्पक्ष तौर पर उस इलाके की सेवा की। इनके अलावा अन्य महानुभावों के प्रति जो भाव प्रस्ताव रखा गया है, मैं उनके साथ सहानुभूति प्रकट करता हूं कि परमात्मा उनकी आत्मा का भान्ति दे।

चौधरी भजन लाल (आदमपुर): आदणीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो भाोक प्रस्ताव सदन में रखा है, मैं इससे सहमति प्रकट करता हूं। पिछले सदन के उठने से अब तक के समय दौरान आठ नामों की सूची हमारे सामने है। इस सूची में दिवंगत नेता है जिन्होंने दे आ की जनता की सेवा करने के लिए बड़ा भारी योगदान दिया है। मैं श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा क्योंकि मेरा उनसे काफी लगाव रहा है। अहमद साहब बड़े महान व्यक्ति थे। जब भी कोई बड़े से बड़ा मसला आता सामने आता, चाहे वह समाज का मसला था, चाहे सारे दे आ का मसला था, वे बड़ी सूझ-बूझ के साथ गौर करते थे और उसको निपटाते थे। उनकी भावना, बड़ी पवित्र भावना रही है। इस प्रस्ताव में दी गई दिवंगत आत्माओं को अपनी तरफ से मैं श्रद्धाजलि भेंट करता हूं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार के सदस्यों को इस दुःख को सहन करने की भाक्ति दे और उनकी आत्मा को सद्गति मिले।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री अली यावर जंग बहादुर के निधन पर मैं भाोक प्रकट करता हूं। उन्होंने 1965 से 1968 तक अलीगढ़ मुस्लिम विविद्यालय के कुलपति पद को सु गोभित किया। 1970 में उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद को सम्भाला और निधन से दे आ ने एक महान् कूटनीतिज्ञ तथा प्र तासक खो दिया। मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री डेबर, भूतपूर्व अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इनका जीवन बड़ा महान जीवन रहा है और कांग्रेस को एक बेहतरीन रास्ता इन्होंने अपने कार्यकाल में दिखाया । मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को भ्रान्ति तथा उनके परिवार को उनके निधन से हुए दुःख को सहन करने की भाक्ति प्रदान करे ।

श्री अजीत प्रसाद जैन, भूतपूर्व केन्द्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री, के प्रति भी मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे उनकी आत्मा को भ्रान्ति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुःख को सहने की भाक्ति दे ।

श्री देवेन्द्र लाम्बा, अपर न्यायाधिपति, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में अध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे प्रान्त को जो क्षति हुई है, मैं समझता हूं कि वह पूरी नहीं होगी। मैं उनके प्रति श्रद्धांजली अर्पित करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे उनकी आत्मा को भ्रान्ति तथा उनके परिवार को इस दुःख को सहने की भाक्ति प्रदान करे ।

श्री मति लज्जा रानी इस सदन की सदस्या थी। उनके लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे उनकी आत्मा को भ्रान्ति प्रदान करे । उनका और उनके पति स्वर्गीय मेजर

साहब का जीवन अपने इलाके के पिछले वर्ग की सेवा करने का रहा है। उन्होंने कई संस्थाओं में भी अपना योगदान दिया है। उनके प्रति भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ ।

श्री आर.एम. हजारनवीस, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री के प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ई वर उनकी आत्मा को भान्ति तथा उनके परिवार को उनके निधन के दुःख को सहने की भाक्ति प्रदान करे, यही मेरी प्रार्थना है ।

श्री ए.के. गोपालन, मार्क्सवादी नेता, जिनका जीवन सदा ट्रेड यूनियन और किसान आन्दोलन से सम्बन्धित रहा है, के प्रति भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को भांति तथा उनके परिवार को दुःख सहन करने की भाक्ति प्रदान करे। इन भाब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

शिक्षा मंत्री(पंडित चिरंजी लाल भार्मा): स्पीकर साहब, लीडर आफ दी हाउस ने जो मरहूम नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रैजोल्यूशन मूव किया है मैं अपने आपको उसके साथ जोड़ता हूँ। श्री फखरुद्दीन अली अहमद से, जो हमारे प्रैजिडेंट थे मेरा जाति सम्पर्क तो नहीं हुआ लेकिन एक दो बार उनसे मिलने का सौभाग्य मुझे जरूर प्राप्त हुआ है। जब वे यहाँ तारीफ़ लए प्रैजिडेंट के इलैक्शनो के लिए बतौर कैंडिडेट के और हमारी कांग्रेस लैजिसलेचर पार्टी की गैस्टहाउस में मीटिंग थी

उस वक्त जो नम्रता, जो इखलाक और जो इन्सानियत उन्होने दिखाई उसने हमारे उपर एक एक छाप छोड़ी। हमने उनसे प्रार्थना की कि आप के आने की क्या आवयकता थी जबकि हमारी पार्टी का आदे । हमारे सामने था तो उनका जवाब था कि बतौर कैडिंडेट के वोटर्ज के पास पहुंचना मेरा फर्ज था। हम उस वक्त नीचे बैठे हुए थे। वे भी नीचे आकर बैठ कर बड़े आराम से हमारे साथ बात करते रहे। ऐसे इन्सान दुनियां में कम मिलते है। दे । के लिए उनकी कुर्बानी का जहां तक सम्बन्ध है, उसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ब्रिटि । सम्राजय से आजादी की लड़ाई के समय वे किसी से पीछे नहीं रहे । उनकी आधी जवानी काली कोठरियो में गुजरी। राष्ट्रपति बनने के बाद भी कोई चेंज उनकी इन्सानियत में नहीं आई। मैं समझता हूं यही उनका बड़प्पन था। ऐसे वक्त में, जबकि दे । को उनकी बहुत आवयकता थी। उनका देहान्त बहुत दुःखदायी है लेकिन परमात्मा के सामने किसी का जोर नहीं चलता। हमें सदमें को बर्दा त करना ही पड़ता है लेकिन मेरी प्रार्थना है कि वह मरहूम की रूह को भांति और उनके परिवार को इस सदमें को बर्दा त करने की भाक्ति दे।

श्री देवेन्द्र सिंह लाम्बा, क्योंकि वे अपने अजीज थे, एक निहायत भारीफ, इखलांकि और मिलनसार इन्सान थे। वे भाराफत के पुतले थे और यह चीज उस समय देखने में आई जब वे डिप्टी ऐडवोकेट जनरल, सीनीयर डिप्टी ऐडवोकेट बने और बैच पर

इलैक्ट हुए क्योंकि उसके बाद भी उनमें कतन फर्क नहीं आया। एक रोज मैंने यों ही कहा कि देवेन्द्र अब आपको जज साहब कहे, जस्टिस लाम्बा कहे या देवेन्द्र कह कर पुकारे तो वे हस कर बोले मैं तो आपका अजीत हूँ इसलिए आपके मुंह से देवेन्द्र की अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ यह उनके बड़प्पन की निशानी थी। मैम्बरान हाईकोर्ट से भी मुझे मिलने का इतफाक हुआ। बहुत थोड़े अर्से वे हाईकोर्ट के जज रहे लेकिन इस थोड़ा अर्सा में भी मझे मालूम हुआ कि एक अच्छे जज की छाप उन्होंने छोड़ी है। उनके चेहरे पर हर वक्त मुस्कराहट होती थी। वैसे भी वे बड़े नर्म तबीयत थे हालांकि हमारे इलाके की तर्ज-गुफ्तगू कुछ रफ सी हैं। उनके पास से कोई कुछ रफ सी है। उनके पास से कोई निराशा होकर नहीं लौटता था। उनका हमारे दरम्यान से बिछुड़ जाना एक नाकाबले तलाकी नुकसान है। परमात्मा उनकी आत्मा को भांत और उनके परिवार को इस सदमें को बर्दास्त करने की भाकित दे यही मेरी उनसे प्रार्थना है।

स्पीकर साहब, इनके अलावा मुख्यमंत्री ने जिन 6-7 आदमियों का जिक्र किया है मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता(बेरी): स्पीकर साहब, यह पैदा होने और मरने का सिलसिला तो जारी रहता है लेकिन जो भावना हर नसल के मन में आती है वह यह कि जा पहले नसल चली गई वह उनसे बेहतर थी और वे उनकी जगह नहीं ले सकेंगे। इसी किस्म की भावना आज जब हम मरहूम नेताओं को

श्रद्धाजलि पे ा कर रहे हैं मै भी महसूस करूंगा और यह हाउस भी करेगा।

श्री फखरुद्दीन अहमद प्रैजिडैन्ट के तौर पर जितने कामयाब थे उतने ही एक वकील के तौर पर भी कामयाब थे। बतौर सियासतदान भी बड़े कामयाब रहे। ने ानल मूवमेंट में उनकी कुर्बानी यह थी कि उस जमाने में भी कांग्रेस के साथ रहते थे। उनका नाम याद आते ही डेढ सौ दो सौ साल पुराना इतिहास हमारी आंखों के सामने आ जाता है। गुजरांवाला में इनके दादा पैदा हुए, दिल्ली में इनके बाप पैदा हुए। रि ते के लिहाज से ये हमारी बिरादरी से कुनैक्ट हो गये और मिर्जा गालिब से भी कुनैक्ट हो गए। वे तमाम गुण जो एक अच्छे इन्सान में होते है, जो एक कल्चर्डइन्सान में होते है वे सारे इनके करैक्टर के पार्ट थे।

श्री अली यावर जंग बहादुर, मै पहले समझता था कि हैदराबाद के है क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिन्दगी हैदराबाद में काटी थी लेकिन पिछले दिनों जब मै हस्पताल मे था तो पता लगा कि वे लखनऊ में पैदा हुए थे। अपनी जिदंगी का काफी अर्सा उन्होंने वहां काटा। इनकी अपनी लाइब्रेरी भी वहां क्योंकि ये एक बड़े लिटरेरी टेस्ट के आदमी थे। मौलाना आजाद भी इनके मेहमान हुआ करते थे। वे उर्दू तथा परसियन के बेहतरीन लिटरेरी आदमी थे। पालिटिकल साइड पर वे पहले ने ानलिस्ट लीडर नहीं थे बल्कि लिटरेरी तौर पर उनका बड़ा भारी कन्ट्रीब्यू ान था।

श्री अजीत प्रसाद जी जैन बड़े प्रोग्रैसिव फार्मर थे। आजकल तो बहुत लोग प्रोग्रैसिव फार्मर है लेकिन उस समय इतने नहीं थे। एक दिन सैकिण्ड लोक सभा में मैं गलती से यह कह बैठा कि खुराक और जरायत का महकमा एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसको खेती-बाड़ी के बारे में इतना ज्ञान नहीं है। थोड़े दिनों के बाद मुझे चिट्ठी आई कि आप मेरे फार्म पर आये, मैं वहां गया, उनके फार्म को देख कर मैं हैरान हो गया कि उस जमाने में वे लीडिंग फार्मरों में से है।

स्पीकर साहब श्री देवेन्द्र लाम्बा साहब के बारे में तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो इस लिस्ट में आठ मरहूमों का नाम है उन आठ में हमारी नसल के बाद की नसल के ये पहले व्यक्ति है जो इस संसार से चल बसे है। मैं तो उनके बारे में इतना ही कहूंगा कि अभी फूल खिला भी नहीं था, पहले ही मुरझा गया। उनक चले जाने से मुझे महान दुख है।

कामरेड गोपालन सातवी जमात से पालिटिक्स से संबंध रखते थे। जब वे सातवी जमात में पढ़ते थे तो उन्होंने कांग्रेस से इन में वॉलंटियर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। वे केरल कांग्रेस के प्रैजिडेंट बने। उस जमाने में वे इन्कलाब पार्टी में थे उनके खून और दिमांग में केवल इन्कलाब छाया हुआ था। वे कांग्रेस में रहते हुए भी इन्कलाबी थे। जब सो ललिस्ट पार्टी बनी तो इन्होंने इस को आग्रेनाइज किया था फिर बाद में वे कम्यूनिस्ट पार्टी में शामिल हो गये। जब कम्यूनिस्ट पार्टी में भी दो धड़े बन

गये एक नर्म दल और दूसरा गर्म दल तो वे गर्म दल में चले गये। वे सारी उम्र पार्लियामेंट के मैम्बर रहे।

सन् 1958 में जब वे बीमार थे तो रोहतक में वे मेरे कमान पर ठहरे हुए थे। सरदार प्रताप सिंह कैरो ने उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को भेजा ता वे उनके साथ पैदल ही हो लिए, उन्होंने मोट कार के लिए किसी किस्म की पैकेट नहीं की। उनके पास अपनी भी मोटर कार थी लेकिन वे पैदल ही उनके साथ चल पड़े। जब पुलिस वालो ने देखा कि वे बहुत कमजोर हैं और चल नहीं सकते तो उनको गाड़ी देनी पड़ी। उनके दिन मेरे धर पर ता तब हुए थे ओर पिछले दिनों राव निहाल सिंह जी के साथ मुझे त्रिवेन्द्रम जाने का मौका मिला था तब भी उनके दिन करने का अवसर प्राप्त हुआ था।

श्री ढबेर से लोगो को एक बात जरूर सीखनी चाहिए कि वे ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जैसे मौलवी साहब हुए हैं। वे अपनी गली के उसी धर में रहते हुए भी चीफ मिनिस्टरी को चलाते रहे। उन्होंने सरकारी बंगला नहीं लिया। चीफ मिनिस्टर होते हुए भी उन्होंने कभी गार्ड को नहीं रखा। वे चीफ मिनिस्टर होते हुए भी सादगी से और ईमानदारी से रहे।

इन भाब्दो के साथ, स्पीकर साहब मैं उन तमाम महापुरुशो को जिनके बारे में लीडर आफ दी हाउस ने भाोक प्रस्ताव रखा है, अपनी खराजे अकीदत पैकेट करता हूँ।

श्री मति लेखवती जैन(अम्बाला भाहर): स्पीकर साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जो भाोक प्रस्ताव रखा है, मै उसके साथ अपने आप को संबंधित करती हूं। हमारे देा के कई एक महान हमारे बीच से चले गये, उनके चले जाने से मुझे और हमारे सारे देा को बहुत दुःख है। जिस समय राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु का दुःखद समाचार आया तो यह हमारे देा के लिए एक बहुत ही दुखदायी समाचार था। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने उनके बारे बहुत कुछ कह दिया है, इससे ज्यादा मै कुछ नहीं कहना चाहती।

स्पीकर साहब, श्री ढबेर भाई जो हमारे कांग्रेस के प्रेजीडेन्ट रहे। उनसे मेरी परसनल वाकफियत थी। वे कांग्रेस प्रेजीडेन्ट होत हुए भी कोई भी सर्वोदय संबंधी मीटींग बिना अटेन्ड किये नहीं रहते थे। इतना कम समय होते हुए भी वे देा की भलाई के कामो में अवय समय देते थे।

श्री अजीत प्रसाद जी जैन के साथ भी मुझे अजादी की मूवमेंट में काम करने का अवसर मिला। देा को आजाद कराने में उन्होंने बहुत ही ज्यादा काम किया था, उनके चले जाने से मुझे बहुत ज्यादा रंज है। सबसे ज्यादा रंज और अफसोस तो बहिन लज्जा रानी जी का है जो इस सदन की एम.एल.ए. थी। हम इस सदन की थोड़ी ही मेम्बर है और उन बहिनो में से एक और चली गई, जिनके चले जाने का मुझे महान दुःख है।

जहां तक लाम्बा साहब का संबंध है, उनके चले जाने से हमारे दे 1 को और जनता को बड़ा दुख है। इतनी यंग उम्र में उनकी मृत्यु हुई है, जिससे दे 1 को बड़ा भारी नुकसान हुआ है।

इन चन्द भाब्दों के साथ, इन महान नेताओं के प्रति जो हमारे बीच से चले गये हैं, उनके चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पित करती हूँ।

Mr. Speaker: Hon Members, I fully associate myself with the Leader of the House and other hon. members about the sentiments expressed by them in respect of our late President and various other dignitaries who have left us during the period since was last met.

Sh. Fakhruddin Ali Ahmed was first elected to the Assam State Assembly in 1935 and joined the State Cabinet. He was elected to the Rajya Sabha in 1954 and remained its members til 1957. From 1957 to 1966 he remained a Minister in Assam Cabinet. He was again elected to the Rajya Sabha in April, 1966 and joined the Union Cabinet as a Minister for Irrigation and Power. He held various portfolios up to July, 1974, when he was elected to the august Office of the president of India. This Office he held till recently when he died in harness. Sh. Ahmed's death is a great loss to the nation as it has been deprived of his wisdom, compassion and decency. Sh. Ahmed was a true nationalist, a steady freedom fighter, an administrator of varied experiences and an outstanding example of our composite Culture. He was a

symbol of secularism and national unity and his death has created a void which will be hard to fill.

Sh. Ali Yavur Yung Bhadur, Governor of Maharashtra, held many important posts in the erstwhile Hyderabad State but resigned in 1947. And become Vice-chancellor of the Osmania University. Before his appointment as Governor of Maharashtra, he held diplomatic assignments in various countries and also worked as Vice-Chancellor of the Aligarh Muslim University. He was a great diplomat and an administrator.

Sh. U.N. Dhebar, former Congress President, was a Veteran freedom fighter who took part in various movements for national liberalisation. Sh. Dhebar was Chief Minister of Saurashtra State from 1948 to 1954. He also presided over the annual session of the A.I.C.C. held at Amritsar in 1956. In 1962, he was elected a member of the Lok Sabha but resigned the following year on his appointment as Chairman of Khadi Commission. He was known for his simplicity and honesty.

Sh. Ajit Parshad Jain was elected to the U.P. Assembly and appointed a Minister in 1937. He was also a member of the Constituent Assembly. In 1950 he joined the Union Cabinet. He worked as Governor of Kerala in 1965-66. He was an eminent leader and able administrator.

Mr. Justice, D.S. Lamba belonged to village Alakpura, He started his legal practice at Hissar. In 1974 he was elected chairman of the Bar Council of the Punjab and Haryana High Court. He was served as deputy advocate General/Senior Deputy Advocate General from October 1970 to

March, 1976, when he was appointed as Additional Judge of the Punjab and Haryana High Court. In his death I have lost a personal friend.

Smt. Lajja rani was a member of Our House. She was the wife of late Major Amir Singhs, M.L.A., she took keen interest in the uplift of the Weaker sections of the Society and backward Areas.

Sh. R.M. Hajarnavis, former Union Minister of State died on the 28th December, 1976. He remained a member of Lok Sabha from 1957 to December, 1970. He was inducted in the Central Cabinet in 1958.

Sh. A.K. Gopalan died only yesterday. Sh. Gopalan was a Member of Indian National Congress and a member of the A.I.C.C. for several years. He actively worked in Trade Union and Kisan movement in Kerala. He also took part in the movement for a responsible government in that State. He was a member of the Lok Sabha from 1952 till January, 1977. He was a great Marxist leader.

I shall certainly convey the sympathies of the House to the bereaved families.

Now, I request you all to stand in silence for two minutes as a mark of the respect to the memory of the departed leaders.

(The House then stood in in silence for two minutes as a mark of the respect to the memory of the departed leaders)

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow.

16.13 बजे

The sabha then adjourned till 9.30 A.M. on Thursday, the 24th March, 1977.